ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL**04292**
RNI REG. NO. UPBIL/**2014/66218** **PP. No.- 55-56**
I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- I, Issues-39, YEAR- Jan.-March 2026

ऊटी–मद्रास काण्ड के नायक–शम्भू नाथ आजाद

श्रीमती निर्मला सिंह
ऐसो. प्रोफेसर– इतिहास, ठा. बीरी जैन कन्या महाविद्यालय, टूण्डला, फिरोजाबाद (उ0प्र0), भारत

Received-05.01.2026, Revised-12.01.2026, Accepted-18.01.2026 E-mail:dr-ssrivastava660@gmail.com

सारांशः ***भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सम्पूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। स्वाधीनता के इस यज्ञ में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी है, उनमें अनेक स्वतंत्रता सेनानी ऐसे भी है, जिनका योगदान महत्वपूर्ण होने के बावजूद मुख्यधारा के लेखन में स्थान नहीं पा सका है। आगरा के शम्भूनाथ आजाद ऐसे ही क्रांतिकारी है, जो 1928 में पंजाब में अनुशीलन समिति के सदस्य बने। समिति ने उन्हे राजस्थान की रियासतों से अस्त्र शस्त्र इक्कठे कर अन्य प्रान्तों में भेजने की जिम्मेदारी दी, लेकिन एक मुखबिर द्वारा सूचना देने पर पुलिस ने इनकों हथियारों के साथ बन्दी बना लिया और तीन साल के लिए जेल भेज दिया गया। 1932 में शम्भूनाथ का नाम मनाली काण्ड (राजनैतिक डकैती) में भी आया, लेकिन सबूतों के अभाव में इन्हे बरी कर दिया गया। जेल से रिहा होने बाद दक्षिण भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए शम्भूनाथ मद्रास पहुँचे। आर्थिक संकट के कारण 28 अप्रैल 1933 में अपने 6 साथियों के साथ त्रावणकोर नेशनल बैंक उटी से 1 लाख रुपये लूटने में सफल हुए और उसके पश्चात मद्रास शहर में पीतल के लोटे में बम बनाया। बम के परीक्षण में एक क्रांतिकारी रोशनलाल मेहरा शहीद हो गये। उसके पश्चात 300 पुलिस कर्मियों ने लिंगी चेट्टी स्ट्रीट मद्रास में इनके घर को घेर कर, इन्हें बन्दी बना लिया और कोर्ट में बैंक डकैती केस और मद्रास बम कांड में 20–20 साल काला पानी की सजा दी। 1938 में अण्डमान जेल में 400 क्रांतिकारियों के द्वारा भूख हड़ताल करने पर ब्रिटिश सरकार ने सभी बंदियो को भारत की जेलों में भेज दिया। 1938 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का शासन था, कांग्रेस सरकार ने सभी बन्दियो के साथ शम्भूनाथ आजाद को भी रिहा कर दिया। जेल से छूटने के बाद शम्भू नाथ आजाद ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार के विरूद्ध क्रांति करने के लिए झांसी में एक गुप्त बम फैक्ट्री की स्थापना की, तव ब्रिटिश सरकार ने पुनः बन्दी शम्भूनाथ आजाद को 4 साल 6 महीने ने लिए जेल भेज दिया गया। सजा पूरा होने के बावजूद इन्हें रिहा नहीं किया गया। इस शोध पत्र में शम्भूनाथ आजाद के जीवन संघर्ष, क्रांतिकारी कार्य और उनके समकालीन प्रभावों का वर्णन किया गया है।***

कुंजीभूत शब्द– स्वतंत्रता, क्रांतिकारी, गतिविधियाँ, स्वाधीनता, सोशलिस्ट, मानवता, शर्मसार, संचालित, विश्लेषण, मुकदमा, अदालत।

अध्ययन का उद्देश्य– 17 साल की उम्र में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने वाले शम्भूनाथ आजाद पहले अनुशीलन समिति से जुड़े, फिर आर्म्स एक्ट में जेल गये, फिर ऊटी बैंक डकैती केस और मद्रास सिटी बम कांड में 20–20 साल की काला पानी की सजा हुई। जेल से रिहा होने पर झांसी में बम बनाने की फैक्ट्री लगाने के कारण 4 साल 6 महीने के लिए जेल भेजा दिया गया। शम्भूनाथ आजाद के जीवन संघर्ष और देश के लिए उनके अमूल्य योगदान को देश की युवा पीढ़ी के समक्ष प्रस्तुत करना ही इस शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य है।

अध्ययन की विधि– शम्भूनाथ आजाद के जीवन संघर्ष क्रांतिकारी गतिविधियों को प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से आधार सामग्री (डेटा) एकत्रित कर विश्लेषण करने के पश्चात इस शोध पत्र में संकलित किया गया है।

प्रस्तावना– भारत माता के अनमोल सपूत शम्भूनाथ आजाद का जन्म आगरा जिले की बाह तहसील के कचौरा घाट नामक गाँव में 1908 में श्री शंकर लाल रिछारिया के यहाँ हुआ था।[1] 8 साल की उम्र में इनके माता पिता का स्वर्गवास हो जाने के बाद, इनका पालन पोषण इनके चाचा सूरजपाल रिछारिया ने किया था। पाँचवी कक्षा पास करने के बाद, कारखाने में काम करने के लिए शम्भूनाथ पंजाब चले गये। जहाँ इनकी मुलाकात बंगाल की अनुशीलन समिति की पंजाब शाखा के प्रभारी दयानन्द डी पटेल से हुई और अनुशीलन समिति के सदस्य बन गये।[2]

अनुशीलन समिति ने शम्भूनाथ आजाद, मंसा सिंह, जुगमिंदर सिंह तथा अन्य क्रांतिकारियों को राजस्थान की अलग–अलग रियासतों से हथियार इक्कट्ठे कर बंगाल और अन्य प्रान्तों में भेजने की जिम्मेदारी सौपी, लेकिन इनका एक साथी चन्दन सिंह पकड़ा गया और पुलिस का मुखबिर बन गया, उसने हथियारों के गोदाम का पता पुलिस को बता दिया। पुलिस ने शीघ्र ही गोदाम वाला मकान घेर लिया।[3] गोदाम में शम्भूनाथ आजाद के चचेरे भाई केदार नाथ, भोला नाथ और विद्याराम को बन्दी बना लिया, लेकिन पुलिस हथियारों तक नहीं पहुँच सकी। शम्भूनाथ आजाद और इन्द्रसिंह गढ़वाली मारवाड़ी का भेष बदलकर, एक बिस्तर बंद में हथियार छिपाकर, दिल्ली से बुलन्दशहर जा रहे थे। दिसम्बर 1930 जमुना ब्रिज रेलवे स्टेशन आगरा में पुलिस ने दोनों को बन्दी बना लिया। शम्भूनाथ आजाद और इन्द्रसिंह गढ़वाली को तीन–तीन साल के जेल भेज दिया गया।

शम्भूनाथ आजाद को लाहौर की बोर्स्टल जेल में भेज दिया गया। इसी दौरान शम्भूनाथ आजाद को लाहौर जेल से अम्बाला जेल भेज दिया गया। जहाँ उन पर मनाली डकैती कांड का मुकद्दमा चलाया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में इन्हें बरी कर दिया गया और वापस लाहौर जेल भेज दिया गया, जहाँ इनकी मुलाकात प्रो. निगम, विद्याभूषण, डॉ. ख्यालीराम गुप्ता, बिमल प्रसाद जैन और कपूर चन्द जैन से हुई, इन्होंने जेल में अनुशीलन समिति और हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं में मेल कराया और भविष्य में मिलकर कार्य करने का निश्चय किया। लाहौर जेल में समाचार पत्र में मद्रास के गवर्नर का दंम्भ भरा बयान "यह कि वहाँ (मद्रास) कोई आंतकवादी कार्यवाही नहीं हुई है।" को पढ़ कर, इन्होंने दक्षिण भारत में आंतक वादी घटना को अंजाम देने की योजना बनायी। शम्भूनाथ 1932 के अन्त में जेल से रिहा हुए।[4] जेल से निकलते ही उनके साथी नित्यानन्द वात्स्यायन ने अपने गृह जनपद ऊटी में संगठन का काम करना शुरू किया।

दक्षिण भारत योजना को क्रियान्वित करने के लिए शम्भूनाथ आजाद ने तीन रिवाल्वर लज्जाराम, आनन्द स्वरूप और सियाराम को दी। और 6000 रुपये रामबिलास शर्मा के पास थे, लेकिन एक अर्न्तप्रान्तीय षडयंत्र में रामबिलास शर्मा गिरफ्तार हुए और वह पुलिस के मुखबिर बन गये, उन्होंने 6000 रुपये और सारी योजना पुलिस को बता दी, लज्जाराम गिरफ्तार हो गये और पुलिस से बचने के आनन्दस्वरूप और सियाराम फरार हो गये। शम्भूनाथ आजाद के पास केवल 400 रुपये थे, वे शीघ्र ही समाप्त हो गये।[5]

अनुरूपी लेखक / संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- I, Issues-39, YEAR- Jan.-March 2026

आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे क्रांतिकारियों ने ऊटी में बैंक को लूटने की योजना बनायी। 28 अप्रैल 1933 में रात 12 बजे ऊटी के मेन मार्केट में त्रावणकोर नेशनल बैंक ऊटकमांड से 6 क्रांतिकारी एक लाख रुपया लूटने में सफल हुए।[6] शम्भूनाथ आजाद और रत्नम नोटों की गठरी बाँध कर सुरक्षित मद्रास पहुँच गये, लेकिन इनके चार साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्रांतिकारी मद्रास में होने वाले ग्रीष्मकालीन दरबार में बंगाल के गवर्नर एंडरसन और मद्रास के गवर्नर जार्ज फ्रेडरिक को मारने के लिए मद्रास आये थे, लेकिन मद्रास सरकार ने बैंक डकैती कांड से घबराकर ग्रीष्मकालीन दरबार रद्द कर दिया।

शम्भू नाथ आजाद ने अपने साथियों को जेल से छुड़ाने का निश्चय किया। इन्होंने 35 बम बनाने के लिए सामग्री तैयार की, लेकिन उन्होंने केवल पीतल के चूड़ीदार लोटे में 2 बम तैयार किये। 1 मई 1933 को समुद्र के किनारे बम का परीक्षण किया, बम परीक्षण तो सफल हो गया, लेकिन बम की चपेट में आने पर रोशन लाल मेहरा शहीद हो गये[7] और पुलिस को बम की जानकारी मिल गयी। 4 मई 1933 में लिंगी चेट्टी स्ट्रीट मद्रास में क्रांतिकारियों के आवास को 300 पुलिस वालों ने घेर लिया, पुलिस मुठभेड़ में क्रांतिकारी गोविन्दराम बहल शहीद हो गये और शम्भू नाथ आजाद और उनके सभी साथी पकड़े गये।

7 जुलाई 1933 में मद्रास में जज गोविन्द मेनन की अदालत में शम्भूनाथ आजाद, कामरेड हजारा सिंह, नित्यानन्द वात्स्यायन (हीरानन्द सच्चिदानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय' के छोटे भाई), बच्चू लाल, खुशीराम मेहता और रत्नम पर ऊटी डकैती केस का मुकद्दमा चलाया गया। शम्भूनाथ आजाद का एक साथी रत्नम पुलिस का मुखबिर बन गया, शेष सभी को आजीवन कारावास की सजा मिली।[8] शम्भूनाथ को 20 साल काला पानी की सजा मिली। 9 जुलाई 1933 में जज मि. वास्टल बैल की अदालत में मद्रास सिटी बम केस का मुकद्दमा शम्भूनाथ आजाद, हीरालाल कपूर और इन्द्रसिंह गढ़वाली पर चला, इन तीनों क्रांतिकारियों को 20–20 साल काला पानी की सजा हुई।[9]

1934 में शम्भूनाथ आजाद को सेल्यूलर जेल (काला पानी) अंडमान निकोबार भेज दिया गया। जहाँ 1938 में 400 स्वतंत्रता सेनानियों ने 48 दिन लम्बी भूख हड़ताल और देशव्यापी आन्दोलन के बाद ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा, सरकार ने सभी स्वतंत्रता सेनानियों को भारत की अन्य जेलों में भेज दिया। 1938 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ शम्भूनाथ आजाद को जेल से रिहा कर दिया।[10]

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्होने युद्ध विरोधी प्रचार मुहिम, झाँसी जिले में छापामार दस्तों का गठन और अस्त्रशस्त्रों की गुप्त फैक्ट्री स्थापित करने के आरोप में सरकार ने इनको, 4 साल 6 महीने के लिए जेल भेज दिया। बरेली जेल में भूख हड़ताल करने पर सिपाहियों ने जबरदस्ती खाना खिलाते हुए, इनके सभी दाँत तोड़ गये, सजा पूरी होने पर भी इन्हें जेल से रिहा नहीं किया गया और फतेहगढ़ जेल में बन्द कर गया। देश की आजादी के लिए कुल मिलाकर, इन्होंने 16 साल जेल में बिताये। आजीवन अविवाहित रहते हुए, इन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। 1947 में देश स्वतंत्र होने के पश्चात ग्राम प्रधान बनने पर इन्होंने कचौरा गाँव में प्राइमरी पाठशाला, कुंआ, हाईस्कूल और बारातघर का निर्माण कराया और अपनी पेंशन के रुपयों से शहीद स्मारक भी बनवाया। 2 अगस्त 1985 में महान क्रांतिकारी शम्भूनाथ आजाद का स्वर्गवास हो गया।

निष्कर्ष– निसंदेहः शम्भू नाथ आजाद ने भारत देश को स्वतंत्र कराने में अपने परिवार का मोह छोड़कर उत्कृष्ट देशभक्ति, त्याग, बलिदान, और बहादुरी जैसी उत्कृष्ट भावनाओ का परिचय दिया। ऊटी बैंक डकैती और मद्रास बम काण्ड में इन्हे 20–20 साल की काला पानी की सजा मिली।[11] उनके दो साथी रोशनलाल मेहरा और गोविन्द राम बहल भी इस कांड में शहीद हो गये। शम्भू नाथ आजाद और उनके साथियो ने कालापानी की सजा में भयंकर यातनाएं सहकर, हमारी आजादी का मार्ग प्रशस्त किया।

भारतीय समाज खास कर युवा वर्ग को भारतीय क्रांतिकारियों और शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। शम्भूनाथ आजाद जैसे क्रांतिकारियों के राजनैतिक विचारों के माध्यम से भारतीय समाज के प्रत्येक नागरिक के अपने जीवन में चरित्र, तपस्या, सदाचार, ईमानदारी, त्याग और बलिदान जैसे महान मूल्यों की पुनर्स्थापना करनी चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. शर्मा, संजीव कुमार (1998) भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की अमर गाथा, न्यू इरा कॉपी हाऊस आगरा, पृ.सं. 87.
2. महज 17 साल की उम्र क्रांतिकारी बन गये थे दादा शम्भूनाथ लाइव हिन्दुस्तान डॉट कॉम/उत्तर प्रदेश/इटावा/औरैया, 13 अगस्त 2022
3. अग्रवाल, अनिल कुमार (1998) शम्भूनाथ आजाद स्मारिका, अध्यापक रामरतन साहित्य संस्थान आगरा पृ. सं. – 34.
4. अग्रवाल, अनिल कुमार, शम्भूनाथ आजाद स्मारिका पूर्वोक्त पृ. सं. – 48.
5. शर्मा, संजीव कुमार पूर्वोक्त पृ. सं. – 87.
6. राणा शाह आलम – चम्बल की धरती का अनोखा क्रांतिकारी दादा शम्भूनाथ आजाद, हिन्दी हेरिटेज टाइम्स डॉट इन, 2 अगस्त 2022.
7. अग्रवाल, अनिल कुमार – शम्भू नाथ आजाद स्मारिका पूर्वोक्त पृष्ठ संख्या – 38.
8. संजीव शर्मा – आगरा के स्वतंत्रता सेनानियों की अमर गाथा, पृ. सं. – 88.
9. महज 17 साल की उम्र में क्रांतिकारी बने, दादा शम्भू नाथ आजाद पूर्वोक्त 13 अगस्त 2022.
10. संजीव कुमार शर्मा, पूर्वोक्त पृ. सं. – 88.
11. अग्रवाल, अनिल कुमार पूर्वोक्त पृ. सं. – 42.

*****